अर्द्ध०शा० पत्र सं० 726 / [illegible] / 2013

सुनील कुमार
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

0522–2238083 (कार्या0)
0522–2235303 (फैक्स)

उत्तर प्रदेश शासन
बेसिक शिक्षा विभाग
कक्ष सं०-१५, सचिव भवन
सचिवालय, उ०प्र०
लखनऊ - २२६००१

दिनांक : 29.मई, 2013.

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि शैक्षिक सत्र 2013–14 दिनॉक 01 जुलाई, 2013 से प्रारम्भ हो रहा है तथा सत्रारम्भ होते ही परिषदीय विद्यालयों के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कार्यपुस्तिकायें उपलब्ध कराया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।

इस दिशा में बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आवश्यक तैयारी की जा रही है और समस्त पाठ्य पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति दिनॉक 15 जून, 2013 तक सभी जनपदों में कराने की व्यवस्था की गयी है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं का जनपद स्तर पर दिनॉक 20 जून, 2013 तक सत्यापन कराने के उपरान्त दिनॉक 30 सितम्बर, 2012 की छात्र संख्या के अनुसार समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिनॉक 01 जुलाई, 2013 से पूर्व उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

तदनुसार प्राप्त पाठ्य पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं का, समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को **जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनॉक 01 जुलाई, 2013 को समारोहपूर्वक निःशुल्क वितरण** कराया जायेगा। वितरण कराने के लिए संसद/विधान मण्डल/जिला पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लिखित रूप से संसूचित करते हुए अनुरोध किया जाये तथा माननीय जनप्रतिनिधियों की सहमति से निर्धारित विद्यालय में वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। शेष विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक व कार्यपुस्तिका वितरण की कार्यवाही ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/विद्यालय प्रबन्ध समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में करायी जानी होगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वास्तविक नामांकन के अनुसार विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्यपुस्तिका वितरण के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होंगे। छात्रवृत्ति वितरण योजना के अन्तर्गत समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के विद्यार्थियों के अनिवार्य रूप से बैंक खाते खोले जाने हैं। अतः वास्तविक नामांकन के अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की जानकारी के लिए उक्त वर्गों के लाभार्थियों का मिलान छात्रवृत्ति वितरण योजनान्तर्गत लाभार्थी विद्यार्थियों की सूची से किया जाये।

उपर्युक्त निर्देशानुसार सभी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं के वितरण की जिम्मेदारी संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी की होगी तथा निर्धारित तिथियों पर पाठ्य पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं के वितरण का पर्यवेक्षण जनपद स्तरीय अधिकारियों से भी कराया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करें तथा समय–समय पर इस व्यवस्था का स्वयं अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

29.5.13

(सुनील कुमार)

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0: /2013–14 तददिनॉक।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।

भवदीय,

(सुनील कुमार)